

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 26/2024

निर्णय दिनांक : 09.05.2024

GCMS NO : 2024/40

रामलाल प्रजापत पुत्र मूणा राम जाति प्रजापत निवासी ग्राम कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता सुलतान सिंह उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय


संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी के संयुक्त खातेदारी में स्थित खेत खसरा संख्या 318, खसरा संख्या 341 व खसरा संख्या 98 में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का नाम राजुराम पुत्र मुणाराम है। जिन्हे वाद में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया है।

यह कि वादी का वास्तविक व सही नाम रामलाल प्रजापत पुत्र मुणाराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राजुराम पुत्र मुणाराम गलत अंकित है। वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में सही नाम राजुराम पुत्र मुणाराम दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण राजस्व से सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है।

वादी का खेत वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ में स्थित होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वादी का नाम दुरुस्त किया जावे।




उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजूराम पुत्र मूणाराम दर्ज है। जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रामलाल पुत्र मूणाराम दर्ज है। रामलाल पुत्र मूणाराम व राजूराम पुत्र मूणाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल पुत्र मूणाराम दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज कार्यालय नगरपालिका मंडल, छापर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में भी वादी का नाम रामलाल पुत्र मूणाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 318 रकबा 3.5026 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341 रकबा 5.5132 हैक्टेयर व खसरा संख्या 98 रकबा 2.3519 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 11.3677 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम छापर में दर्ज राजूराम पुत्र मुणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छापर खातेदार के स्थान पर रामलाल पुत्र मूणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छापर खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।



ओमप्रकाश वर्मा
उपस्थान अधिकारी
सुजानगढ़ (पुरु)